

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)

email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/

2339

बालाघाट, दिनांक 02 / 04 / 2025

“डिमाण्ड नोट”

प्रति,

महाप्रबंधक,

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1 एवं 2, बालाघाट (म.प्र.)

विषय:-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत चालीसबोडी-कुल्पा-माटे व्हाया बम्हनी तक मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट वनमंडल की 5.376 हे० एवं उत्तर बालाघाट वनमंडल की 0.612 हे० कुल 5.988 हे० वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने के ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/156090/2022) में शासन द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र०- A(9) के अनुपालन में रोड साईड प्लांटेशन के एवज में अन्यत्र बिगड़े वनक्षेत्र में वृक्षारोपण योजना की राशि जमा करने बाबत।

संदर्भ :-

(1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीबी 022/2023-बीएचओ/ दिनांक 13.02.2024 एवं पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 022/2023- बीएचओ दिनांक 24.04.2024

(2) कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1257/2023/10-11/2270 दिनांक 27.04.2024

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों, जिनकी प्रतिलिपी आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, के परिपेक्ष्य में प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्रमांक- A(9) अन्तर्गत रोड साईड प्लांटेशन के एवज में अन्यत्र बिगड़े वनक्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट (सा.) परिक्षेत्र के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक/463 दिनांक 21.03.2025 एवं उपवनमंडलाधिकारी बालाघाट (सा.) उपवनमंडल के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक/503 दिनांक 25.03.2025 से प्राप्त 11 वर्षीय तैयार योजनानुसार आंकलित राशि रुपये 51,61,417.00 (रुपये **ईनकावन लाख, इकसठ हजार, चार सौ सत्रह मात्र**) जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा उनके आदेश क्रमांक/व्यय आं./117 दिनांक 28.03.2025 एवं पत्र पृ.क्र./व्यय आं./1624 दिनांक 28.03.2025 से प्रदान की गई है। उक्त तैयार योजना में शासन के कैम्पा मद में जमा करने हेतु राशि रुपये 51,61,417.00 (रुपये **ईनकावन लाख, इकसठ हजार, चार सौ सत्रह मात्र**) का आंकलन कर दर्शित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित आंकलित कुल राशि रुपये 51,61,417.00 (रुपये **ईनकावन लाख, इकसठ हजार, चार सौ सत्रह मात्र**) का भुगतान शासन के कैम्पा (CAMP) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें। तथा आपके विभाग/संस्थान द्वारा शासन के CAMP मद में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गयी उपरोक्त राशि की सूचना एवं संबंधित अभिलेख आदि की सत्यापित प्रति तत्काल इस वनमंडल कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अधर गुप्ता)

भा0व0स0

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 02 / 04 / 2025

पृ.क्रमांक/तकनीकी/

2340

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित एवं आपके आदेश क्रमांक/व्यय आं./117 दिनांक 28.03.2025 एवं पत्र पृ.क्र./व्यय आं./1624 दिनांक 28.03.2025 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. उपवनमंडलाधिकारी, बालाघाट (सा.) उपवनमंडल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. वन परिक्षेत्र अधिकारी, बालाघाट (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. शाखा प्रभारी व्यय/राजस्व शाखा दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अधर गुप्ता)

भा0व0स0

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट